

न्यायालय:- (डी.सी.थपलियाल), अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

प्रकरण क्रमांक 20/2015 अ०मु०दी०

संस्थित दिनांक 26.11.2015

1. राजेश सिंह पुत्र श्रीकृष्णसिंह तोमर, उम्र 38 वर्ष।
2. महेशसिंह पुत्र श्रीकृष्णसिंह तोमर, उम्र 35 वर्ष,
निवासी ग्राम लालन का पुरा, परगना गोहद,
जिला भिण्ड म०प्र०।

-----अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण

बनाम

बदनसिंह पुत्र बहादुरसिंह उम्र 60 वर्ष, निवासी
ग्राम लालन का पुरा, परगना गोहद, जिला भिण्ड
म०प्र०

-----रिस्पोंडेंट/वादी

अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/वादी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

//आ दे श//

//आज दिनांक 25-10-2016 को पारित किया गया //

01. अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत विविध सिविल अपील का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है जिसमें अपीलार्थीगण ने अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गोहद, पीठासीन अधिकारी श्री प्रतिष्ठा अवस्थी के द्वारा प्रकरण क्रमांक 73ए/2015 ई.दी. बदन सिंह बनाम राजेश बगैरह में पारित आदेश दिनांक 19.10.2015 से व्यथित होकर वर्तमान अपील पेश की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रत्यर्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार करते हुए अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी०पी०सी० निरस्त किया गया है। सुविधा की दृष्टि से आगे के पदों में अपीलार्थीगण को प्रतिवादी एवं प्रत्यर्थी को वादी के रूप में संबोधित किया जावेगा।
02. विचारण न्यायालय के समक्ष वादी का आवेदनपत्र इस प्रकार से रहा है कि

वादग्रस्त भूमि जो कि मौजा लालन का पुरा तहसील गोहद में स्थिति है के सर्वे क्रमांक 42 रकवा 0.04, सर्वे क्रमांक 56 रकवा 0.02 कुल रकवा 0.06 का वह रिकॉर्ड स्वामी एवं आधिपत्यधारी है और राजस्व कागजातों में उसी का नाम इन्द्राज है और उसके द्वारा ही उस पर कृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमियाँ वादी को अपने पिता बहादुरसिंह की मृत्यु सन् 2012 में होने के उपरांत उत्तराधिकार में भाईयों से बटवारे में प्राप्त हुई थी। वादी के पिता अपने जीवनकाल में उक्त भूमियों पर काबिज होकर खेती करते थे और पिता की मृत्यु होने के पश्चात् वह खेती कर रहा है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमियों से कोई भी संबंध सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वादी के द्वारा जब अपनी उक्त भूमि की जाती है तो झगडा करने के लिए उतारू हो जाते हैं और उसके खेती करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस संबंध में दिनांक 25.02.2015 को वादी वादग्रस्त भूमि जिसमें कि सरसों की फसल उगाई थी को काट रहा था प्रतिवादीगण ने उन्हें फसल काटने से रोका और उनके हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी। प्रतिवादीगण के द्वारा यदि वादग्रस्त भूमि से उसे वे-दखल कर दिया गया तो वादी को अपूर्तिनीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टिया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में है। ऐसी दशा में प्रकरण के अंतिम निराकरण तक प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य में कोई बाधा उत्पन्न करने अथवा उन्हें वेदखल करने से निषेधित किये जाने का निवेदन किया गया है।

03. प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के द्वारा अपने जबाब में वादी के आवेदनपत्र को असत्य आधारों पर पेश किया जाना बताते हुए यह बताया है कि विवादित भूमि का वादी स्वामी नहीं है, उस पर उसने गलत रूप से अपना नाम इन्द्राज करा लिया है, उस पर वादी के पिता के द्वारा कभी भी खेती नहीं की गई है और न ही वादी के द्वारा खेती की जा रही है और न ही खेती कर उसका कब्जा है। वादी एवं उसके भाईयों ने गोपनीय तरीके से राजस्व अधिकारियों से मिलकर गलत बटवारा करा लिया है जो कि प्रतिवादी के मुकाबले शून्य है। प्रतिवादी 1 व 2 का घरेलू बटवारा हुआ है तब से प्रतिवादी क्रमांक 2 विवादित भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहा है और उसके ही उस पर कब्जा है। वादी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टिया प्रकरण या सुविधा का संतुलन नहीं है। आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

04. प्रतिवादीगण के द्वारा भी एक आवेदनपत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश करते हुए वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के लम्बे समय से आधिपत्य में होना जिसकी जानकारी हमेशा वादीगण का होना तथा विरोधी आधिपत्य के आधार पर उनको विवादित भूमि पर स्वत्व एवं भूस्वामी अधिकार प्राप्त हो जाना

अभिकथित किया है। विवादित भूमि पर वादी के पूर्वजों के द्वारा गलत रूप से अपना नाम इन्द्राज करा लिया था, जबकि उस पर वादी या उसके पूर्वजों ने कभी भी खेती नहीं की थी। दिनांक 30.06.2013 को वादी एवं उसके भाई का प्रतिवादीगण के मध्य फसल को लेकर झगडा हुआ था जिसकी रिपोर्ट थाना एण्डोरी में की गई थी, तब राजस्व अभिलेखों की नकल लेने पर फर्जी इन्द्राज की जानकारी प्रतिवादी को हुई। वादी विवादित भूमि पर से उनके कब्जे को छीनना चाहता है। इस परिप्रेक्ष्य में वादी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की याचना की गई है।

05. प्रतिवादीगण के द्वारा पेश आवेदनपत्र का वादी की ओर से जबाव पेश कर विरोध किया गया है और यह व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कभी भी कोई आधिपत्य नहीं रहा है और उनके विरोधी आधिपत्य के आधार पर कोई स्वत्व अधिकारी भी उत्पन्न नहीं होता है। पूर्व में विवादित भूमि पर वादी के पिता का आधिपत्य था और वर्तमान में वादी का आधिपत्य है। ऐसी दशा में प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा बावत् आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

06. विचारण न्यायालय के द्वारा वादी के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. स्वीकार करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 को अस्थाई रूप से वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने और उसे वेदखल करने से निषेधित किया गया है। इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदनपत्र निरस्त किया गया है।

07. अपीलार्थी/प्रतिवादीगण के द्वारा वर्तमान अपील मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की गई है कि विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 19.10.2015 विधि विधान के विपरीत है। विचारण न्यायालय के द्वारा आवेदनपत्र के निराकरण के समय प्रस्तुत की गई प्रारंभिक दस्तावेजों को विचारण में लिए बिना प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है। विवादित भूमि पर वादी का काब्जा मानने में भी विचारण न्यायालय के द्वारा निकाला गया निष्कर्ष उचित रूप से नहीं निकाला गया है। वादी का कब्जा प्रमाणित न होते हुए भी उस पर उसके कब्जे को माना गया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी के द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि वर्तमान दावा मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का है और स्थाई निषेधाज्ञा के आवेदनपत्र पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इस प्रकार वैधानिक रूप से भी आदेश उचित नहीं है। उक्त परिप्रेक्ष्य में आदेश दिनांक 19.10.2015 को अपास्त करते हुए और इस संबंध में प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

08. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय है कि—

क्या अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19.10.2016 को प्रतिअपीलार्थी/वादी के अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदनपत्र को स्वीकार करने एवं अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के आवेदनपत्र को अस्वीकार करने में वैधानिक भूल की गई है? क्या अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की अपील स्वीकार योग्य है?

//सकारण निष्कर्ष//

09. अपीलार्थीगण अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह व्यक्त किया कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का कोई आधिपत्य नहीं है, बल्कि उस पर अपीलार्थी/प्रतिवादी का ही आधिपत्य है। वादग्रस्त भूमि को वादीगण के द्वारा उनका आधिपत्य विवादित किया जा रहा था जिस संबंध में धारा 145 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कार्यवाही भी एस.डी.एम. के यहाँ संचालित हुई थी। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह भी व्यक्त किया कि वर्तमान दावे में वादी के द्वारा मात्र स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाही गई है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिए भी वह इसी आशय की सहायता चाह रहा है। ऐसी दशा में जो सहायता अंतिम सहायता के रूप में दी जा सकती है वह अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से नहीं दी जा सकती है।

10. वादी/प्रतिअपीलार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपने तर्क में व्यक्त किया गया कि वादग्रस्त भूमि उसके पूर्वजों की भूमि है जिस पर वह काबिज होकर कास्त करते हैं। एस. डी.एम. के यहाँ जो आवेदनपत्र धारा 145 दं.प्र.सं. की कार्यवाही हेतु पेश किया गया है वह स्वयं प्रतिवादी पक्ष की ओर से गलत आधारों पर पेश किया गया है। उक्त आवेदनपत्र पेश करने से इस संबंध में कोई निष्कर्ष भी नहीं निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी व्यक्त किया गया कि अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से आधिपत्य सुरक्षित रखने हेतु सहायता प्रदान की जा सकती है और इस प्रकार की सहायता यदि प्रदान की गई है तो उसमें कोई अनियमितता होनी नहीं कही जा सकती है।

11. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। सर्वप्रथम वर्तमान प्रकरण जो कि वादी के द्वारा वादग्रस्त भूमियों के संबंध में प्रतिवादीगण के द्वारा उनके आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से निषेधित किये जाने बावत् एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने बावत् पेश किया गया है जो कि वादी के अनुसार वादग्रस्त भूमि उसके स्वत्व एवं आधिपत्य की है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण के द्वारा भी प्रतिदावा पेश किया गया है, जिसमें कि वादग्रस्त भूमि पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर भू-स्वामी अधिकार की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का आवेदनपत्र इस संबंध में पेश किया गया है।

12. अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित आवेदनपत्र का निराकरण मुख्य रूप से पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र एवं प्रारंभिक उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर किया जाना अपेक्षित है। पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र का जहाँ तक प्रश्न है। उभय पक्षकारों के द्वारा अपने आवेदनपत्र के समर्थन में अपना-अपना शपथपत्र पेश किया गया है। इस प्रकार पक्षकारों के शपथपत्रों के आधार पर इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। प्रकरण में पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य पर विचार किया जाना उचित होगा।

13. वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में प्रारंभिक दस्तावेजों का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में वादी पक्ष के द्वारा खसरा वम्बत् 2060 से 2069 तक की सत्यप्रतिलिपि पेश की गई है, जिसमें वादी वादग्रस्त भूमि के आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज है। इस संबंध में भू-अधिकार त्रिगुण पुस्तिका की फोटोकॉपी भी पेश की गई है, जिसमें कि खातेदार के रूप में वादी का नाम दर्ज है। प्रतिवादी पक्ष के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर उनके आधिपत्यधारी होने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया गया है जिससे कि इस बात की पुष्टि होती हो कि कभी भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जेदार के रूप में उनका नाम दर्ज हो। इस संबंध में प्रतिवादीगण के द्वारा यह अभिवचन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर राजस्व अभिलेखों में वादी पक्ष के द्वारा अपना नाम गलत आधारों पर इन्द्राज करा लिया गया था, किन्तु इस संबंध में प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र के जबाब एवं अपने जबाबदावा में अभिवचन किया है कि वादग्रस्त भूमि सर्वेक्रमांक 167/1 जिसका नवीन सर्वे क्रमांक 384 रकबा 0.23 था, जब लालन पुरा का नवीन मौजा बना था उस उक्त सर्वे क्रमांक 42 और 56 का निर्माण हुआ था। इस संबंध में प्रतिवादी पक्ष के द्वारा प्रस्तुत खसरा सम्बत् 2013 लगायत 2017 के खसरा की फोटोकॉपी से यह स्पष्ट होता है कि सर्वे क्रमांक 167 में प्रतिवादीगण के पूर्वज तेजसिंह दिनांक 10.08.1960 को पक्के कृषक के अधिकार प्राप्त किए गए हैं।

14. इस प्रकार प्रकरण में प्रस्तुत प्रारंभिक दस्तावेजी साक्ष्य जिनमें कि खसरा की नकलें एवं भू-अधिकार त्रिगुण पुस्तिका की प्रति शामिल है से वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य होना दर्शित होता है। प्रतिवादी पक्ष के द्वारा यह आधार लिया गया है कि उनका वादग्रस्त भूमि पर लगातार कब्जा वादी और उसके पूर्वजों की जानकारी में चला आ रहा है। इस आधार पर उन्हें विरोधी आधिपत्य के आधार पर उनके आधिपत्य की पुष्टि होकर उन्हें स्वत्व प्राप्त हो चुका है। निश्चित तौर से उक्त विषय साक्ष्य की विषयवस्तु है, इस स्टेज पर प्रतिवादी के द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे कि वादग्रस्त भूमि उनके आधिपत्य में होने की कोई पुष्टि होती हो।

15. जहाँ तक प्रतिवादीगण के द्वारा अपने तर्क में लिया गया अन्य आधार कि

वर्तमान दावा मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का है, ऐसी दशा में वादी के पक्ष में जो अंतिम सहायता चाही जा रही है उस आशय की सहायता अस्थायी निषेधाज्ञा के रूप में नहीं दी जा सकती है। इस संबंध में यद्यपि यह सत्य है कि जो सहायता अंतिम सहायता के रूप में दी जानी चाहिए उस प्रकार की सहायता स्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से नहीं दी जा सकती है, किन्तु वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, वर्तमान प्रकरण में वादी के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर उसका स्वत्व निहित होना बताते हुए प्रतिवादी के द्वारा उसके आधिकार में हस्तक्षेप करने एवं उसे खेती करने से रोके जाने के संबंध में अभिवचन करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा बावत् आवेदनपत्र पेश किया गया है। निश्चित तौर से अस्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से इस प्रकार की सहायता स्थाई निषेधाज्ञा के पूर्व प्रदान की जा सकती है उससे अंतिम सहायता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

16. विचारोपरांत विचारण के द्वारा वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टिया प्रकरा होना पाते हुए सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तिनीय क्षति के तत्व भी उसके पक्ष में पाए जाने में किसी प्रकार की कोई वैधानिक भूल अथवा त्रुटि की जानी नहीं पाई जाती है, बल्कि विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई समग्र साक्ष्य पर उचित रूप से विचार करते हुए इस संबंध में निष्कर्ष निकाला गया है और निष्कर्ष निकालते हुए वादी के अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदनपत्र स्वीकार किया गया है और प्रतिवादी के द्वारा भी इस संबंध में प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदनपत्र निरस्त किया गया है।

17. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2015 में कोई वैधानिक व तथ्यात्मक त्रुटि होना नहीं पायी जाने से उक्त आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19.10.2015 की पुष्टि की जाती है। अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

18. आदेश की एक प्रतिलिपि के सहित मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को वापस भेजा जावे।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)

अपर जिला जज

गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)

अपर जिला जज

गोहद, जिला भिण्ड